क्रमांक-12

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 15 मार्च, 2012 (फाल्गुन 25, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 124 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरियावली क्षेत्र के ग्रामों में विद्युत प्रदाय पर्याप्त मात्रा में न होने,
(2) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य ने अशोक नगर क्षेत्र के ग्राम चंदेरी में विद्युत पोलों को न लगाये जाने,
(3) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य ने रीवा जिले के हनुमना में सुलभ शौचालय न होने,
(4) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य ने शिवपुरी क्षेत्र के विजयपुर तथा छिरवाहा के ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खोलने,
(5) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने प्रदेश में नसबंदी शिविर की तिथि बदली जाने,
(6) श्री संजय शाह मकड़ाई, सदस्य ने हरदा जिले में सोयाबीन कृषकों को बीमा राशि का बगैर क्रेडिट कार्ड भुगतान करने,
(7) श्री संतोष जोशी, सदस्य ने शाजापुर जिले के ग्राम किलोना में भूमि बदोबस्त में अनियमितता होने तथा सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा, वर्ष 2005-06 पटल पर रखा।
(2) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

4. ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर एवं नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्यगण ने छिन्दवाड़ा जिले के अमरवाड़ा क्षेत्र में सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री सरताज सिंह, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।
(2) सर्वश्री ब्रजराज सिंह चौहान एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने श्योपुर जिले के ग्राम रामपुरा सहराना में एक आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी (जिला-राजगढ़)
(2) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी (जिला-सागर)
(3) श्री रामचरित्र तनय रामप्यारे (जिला-सिंगरौली)
(4) श्री रामलल्लू वैश्य (जिला-सिंगरौली)
(5) श्री चेतराम मानेकर (जिला-बैतूल)
(6) श्री रामगरीब कोल (जिला-रीवा)
(7) श्री आशाराम अहिरवार (जिला-दतिया)
(8) कुंवर विक्रम सिंह (जिला-छतरपुर)
(9) श्री रामलखन सिंह (जिला-सतना)

6. वर्ष 2011-12 की तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तद्नुसार, श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि -

" दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75 तथा 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर चौदह हजार चार सौ छत्तीस करोड़, पच्चीस लाख, तिरतालीस हजार, दो सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) राव देशराज सिंह यादव
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री ताराचंद बावरिया
(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डश: विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2012 (क्रमांक 3 सन् 2012) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

8. प्रदेश के विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए सदस्यों के निर्वाचन सम्बन्धी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि प्रदेश के 6 विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए राज्य विधान सभा के 8-8 सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में घोषित किए गए कार्यक्रमानुसार नाम वापसी के पश्चात् 8-8 उम्मीदवार शेष हैं, चूंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय की सभा (कोर्ट) के लिए केवल 8-8 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं अत: निम्नांकित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिए निम्नानुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है :-

1. जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

(1) श्री आशाराम अहिरवार
(2) श्री कमलेश जाटव
(3) श्री के.पी. सिंह
(4) श्री परसराम मुदगल
(5) श्री माखनलाल राठौर
(6) श्री राकेश शुक्ला
(7) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(8) श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा

2. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

(1) श्री अलकेश आर्य
(2) श्री आरिफ अकील
(3) श्री कमल पटेल
(4) श्री चेतराम मानेकर
(5) श्री विश्वास सारंग
(6) श्री संजय शाह मकड़ाई
(7) श्री हरीसिंह रघुवंशी
(8) श्री हेमराज सिंह कल्पोनी

3. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

(1) श्री ओमप्रकाश सकलेचा
(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर
(3) श्री दीपक कैलाश जोशी
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री राधेश्याम पाटीदार
(6) श्री रामलाल मालवीय
(7) श्री शांतिलाल धबाई
(8) श्री संतोष जोशी

4. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

(1) श्री अश्विन जोशी
(2) श्री आत्माराम पटेल
(3) श्री जीतु जिराती
(4) श्री देवेन्द्र वर्मा
(5) श्री बालकृष्ण पाटीदार
(6) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़
(7) श्री रमेश मैन्दोला
(8) श्री राजवर्धन सिंह प्रेम सिंह दत्तीगांव

5. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

(1) श्री गिरिराज किशोर पोद्दार
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(4) श्री नारायण सिंह पट्टा
(5) श्रीमती नीता पटेरिया
(6) श्री मानवेन्द्र सिंह
(7) श्री रामकिशोर कावरे
(8) श्री शरद जैन

6. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा
(2) श्री गिरीश गौतम
(3) श्री दिलीप जायसवाल
(4) श्री बिसाहूलाल सिंह
(5) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(6) श्री रामखेलावन पटेल
(7) श्री रामलखन सिंह
(8) श्री रामलल्लू वैश्य

9. वर्ष 2012-13 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री की मांगों पर (दिनांक 14 मार्च, 2012 को प्रारम्भ हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण) निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(13) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(14) श्री सुदामा सिंह सिग्राम
(15) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(16) श्री जेवियर मेड़ा
(17) श्री माखनलाल राठौर
(18) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(19) श्री भैयाराम पटेल
(20) श्री बृजमोहन धूत
(21) राव देशराज सिंह यादव

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को–

अनुदान संख्या – 50	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए दो सौ उनतीस करोड़, पच्चीस लाख, चौदह हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :

(1) श्री के.पी. सिंह
(2) श्री दीपक कैलाश जोशी
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री कमल पटेल

श्री कैलाश विजयवर्गीय, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(4) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 14	पशुपालन के लिए पांच सौ चवालीस करोड़, सैंतीस लाख, पचहत्तर हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 16	मछली पालन के लिए चौवन करोड़, नौ लाख, बानवे हजार रूपये तक की राशि दी जाय।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री ब्रजराज सिंह चौहान
(2) श्री मोती कश्यप
(3) श्री रामलाल मालवीय
(4) डॉ. गोविन्द सिंह
(5) श्री प्रेमनारायण ठाकुर
(6) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 6.22 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2012 (फाल्गुन 26, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 15 मार्च, 2012